संख्या-139/2015/688/22-4-15-48(70)/94टी0सी0-2

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 14 जुलाई, 2015

विषय- नवीन जिला कारागार, रामपुर के निर्माण हेतु उ0प्र0 चीनी एवं गन्ना विकास निगम की हस्तांतरित भूमि के प्रतिकर हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18578/नम-2, दिनांक-29 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहर के घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार, रामपुर को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, रामपुर द्वारा हस्तांतरित भूमि 41.744 हे0, जिसकी कुल लागत रू0 66,01,56,900/-(रूपया छियासठ करोड़ एक लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) है, के सापेक्ष रू0 3,46,19,385/- की धनराशि जिलाधिकारी, रामपुर के माध्यम से तथा रू0 20,00,00,000/-(रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-889/22-4-14-48(70)/94टी0सी0-2, दिनांक 10.09.2014 द्वारा भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार रू0 42,55,37,515/- की धनराशि का भुगतान अवशेष है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त हस्तांतरित भूमि की अवशेष धनराशि रू0 42,55,37,515/-(रूपया बयालिस करोड़ पचपन लाख सैंतिस हजार पॉच सौ पन्द्रह मात्र) उ0प्र0 चीनी एवं गन्ना विकास निगम, रामपुर को भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अनतर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-139/2015/688(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, रामपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।